न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता – *ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.*

गुण्डा नियत्रंण अपील संख्या 01/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
आसूराम पुत्र नरसिंगाराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम खरड, पुलिस थाना धोरीमना, जिला बाडमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये अति जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर।

गुण्डा नियत्रंण अपील अन्तर्गत धारा 06 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा फौजदारी मुकदमा संख्या 05/2015 में दिनांक 28.3.2017 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1- श्री दिनेश विश्नोई, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2- श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांकः– 21.8.2018

प्रस्तुत गुण्डा नियत्रंण अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्धा 6 प्रकरण राजस्थान आबकारी अधिनियम मे दर्ज होकर, चाला न्यायालय मे पेश किये गये जिसमे न्यायालय द्वारा निम्न 3 प्रकरणों मे दोषी पाया गया है।

1. मुकदमा संख्या 63/24.5..2005 अन्तर्गत धारा 14/54 आबकारी अधिनियम चालान नम्बर 46/31.5.2005 निर्णय दिनांक 15.11.2006 सजा
2. मुकदमा संख्या 103/20.7.2008 अन्तर्गत धारा 14/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम चालान नम्बर 73/31.7.2008 निर्णय दिनांक 17.12.2008 सजा
3. मुकदमा संख्या 156/22.0.2009 अन्तर्गत धारा 14/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम चालान नम्बर 122/30.10.2009 निर्णय दिनांक 5.12.2009 सजा

उक्त दर्ज प्रकरणों में सजा दिये जाने पर अपीलान्ट को अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.3.2017 के द्वारा राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा घोषित

करते हुए अपीलान्ट को 1 माह की अवधि के लिये बाडमेर जिला से निष्कासित कर पुलिस थाना जालोर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट के द्वारा गुण्डा नियत्रंण अधिनियम के तहत यह अपील I न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन कि अपीलान्ट पर पुलिस विभाग के द्वारा यह आरोप आरोपित किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध 3 प्रकरणों मे आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होकर संबधित न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो समाज के विरूद्ध है और जिससे लोक शान्ति भंग होती है, अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे जिस पर श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा अपीलान्ट को गुण्डा घोषित करते हुए उसे पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर से बाहर निष्कासित करने के आदेश दिये गये है, जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध 2009 के पश्चात किसी भी थाने मे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। इसके बावजूद बिना किसी विधिक आधारों के पारित आदेश गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का कथन है कि श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के आधार पर मान्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त आदेश के छः माह पूर्व तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गुण्डा घोषित किया जा सके।

: अपीलान्ट वर्तमान मे मजदूरी का कार्य कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अपीलान्ट की पारिवारिक स्थिति एवं वर्तमान समय में उसके द्वारा मजदूरी कार्य कर जीवन यापन करने के प्रयास को देखते हुए अपीलान्ट के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

राज्य पक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने लिखित प्रत्युतर पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न समय मे आबकारी अधिनियम के तहत जो प्रकरण तत्समय में दर्ज हुए तथा उन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा सजा भी पारित की गई है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपों से सिद्ध है कि अपीलान्ट एक आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध किये है, अतः अपीलान्ट के उक्त प्रकार के समाज विरोधी कृत्यों को देखते हुए उसके विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

गुण्डा नियत्रंण अपील/6/2016/ सोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के बिन्दू संख्या 3 का उल्लंघन किया जाना माना है। जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण अपीलान्ट के द्वारा 9 वर्ष पूर्व कारित किये गये है। **राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975– "गुण्डा" परिभाषा– धारा 3 के तहत कार्यवाही के तुरन्त पूर्व अपीलार्थी ने धारा 2(ख) के तहत छः माह के भीतर कोई अपराध नही किया। प्रमाणिक तिथि वह होती है जब धारा 3 के तहत नोटिस जारी किये जाते है। ऐसे मामलों मे की गयी कार्यवाही पूर्णरूपेण अधिकारिता विहीन है और विधि की दृष्टि मे शून्य है।**

वर्तमान प्रकरण मे कोई भी आपराधिक प्रकरण धारा 3 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व छः माह की अवधि के भीतर नही आते है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्ट के वर्तमान चरित्र एवं गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 मे दिये गये प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, जिसका अभाव अपीलाधीन आदेश मे पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2017 निरस्त कर प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन (Observation) के अनुसार कार्यवाही कर पुनः आदेश प्रदान करें। निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 .को सरे इजलास सुनाया गया।